उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 20/2021/296/छप्पन-2021-04(सा0)/2020
लखनऊ : दिनांक : 16 फरवरी, 2021
फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग **वित्तीय वर्ष : 2020-21** **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) पूंजीगत लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एअरपोर्ट-24-वृहद निर्माण कार्य					
505300028002224	40000.00	32648.48	32648.48	32648.48	7351.52
योग	40000.00	32648.48	32648.48	32648.48	7351.52

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) पूंजीगत लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एअरपोर्ट-60-भूमि क्रय					
505300028002260	10000.00	42648.48	32648.48	32648.48	42648.48
योग	10000.00	42648.48	32648.48	32648.48	42648.48

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- निर्माण कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कराये जाने के कारण बचत सम्भावित है। **2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- जनपद अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एअरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु अतिरिक्त भूमि का क्रय किये जाने के कारण व्ययाधिक्य हो रहा है |** **प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।** **डॉ सत्य प्रकाश तिवारी** **उप सचिव,** **नागरिक उड्डयन विभाग।**	**आर.ई. संख्या- ई-7-383/दस-2021, दिनांक: 15 फरवरी, 2021** **सेवा में,** **महालेखाकार,** **(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,** **उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।** **हस्ताक्षर .....** **राजेन्द्र राम** **अनु सचिव,** **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।**
<u>संख्या: 20/2021/296(1)/छप्पन-2021-तद्दिनांक</u> **प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-** **1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।** **2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।** **3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।** **4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7** **5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)** **6- गार्ड बुक।**	**सुरेन्द्र कुमार** **अनु सचिव,** **नागरिक उड्डयन विभाग।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।